GCMS-2022/256

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना कैम्प कोर्ट ग्राम पं. ...2KLD

प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रास्ता
प्रकरण संख्या :–

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
01.06.22	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार रावला के पत्रांक राजस्व/2021/1106 दिनांक 03.01.2022 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम 12 केएनडी ग्राम पंचायत 12 केएनडी पटवार मण्डल 8 केएनडी–बी भू अभिलेख निरीक्षक वृत 7 केएनडी–ए तहसील रावला में प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में स्थाई अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा एवं पर्चा मौका के प्राप्त हुआ है। मुताबिक रिपोर्ट यह रास्ता तहसील रावला के चक 12 केएनडी के प.नं. 11/03 किला नं. 19, 20, 21, 22 में स्वीकृतशुदा रास्ते से आगे के किला नं. 18 व 23 की सीमा से होते हुए शमशान हेतु आरक्षित रकबा तक जाता है। रास्ता काफी वर्षो से प्रचलित है एवं कदीमी है। रास्ते की चौड़ाई 16.5 फुट है। यह रास्ता चक 12 केएनडी की भूमि प.नं. 11/03 के किला नं. 18 व 23 में से होकर गुजरता है। यह रास्ता उक्त रकबे पर मौके पर चालू है लेकिन रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने एवं लाल स्याही से अंकन करने के आदेश जारी करने हेतु तहसीलदार रावला द्वारा अनुशंषा की गई है। पत्रावली व प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा	

	राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार रावला के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज आराजीराज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम 12 केएनडी ग्राम पंचायत 12 केएनडी पटवार मण्डल 8 केएनडी–बी भू अभिलेख निरीक्षक वृत 7 केएनडी–ए तहसील रावला की भूमि चक 12 केएनडी के प.नं. 11/03 के किला नं. 18 में 0.012 है0 व 23 में 0.013 है0 कुल 0.025 हैक्टेयर भूमि का राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम की जावे। तहसीलदार रावला द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा, तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रावला को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	